



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 721]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 2016/आश्विन 25, 1938

No. 721]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2016/ASVINA 25, 1938

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि. 980(अ).—भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का निस्तारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के कल्याण के लिए आयुक्त के पद के समवर्ती प्रभार की अवधि को 01.08.2016 से एक वर्ष की अवधि तक के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 21/21/2002 - भोपाल सेल]

समीर कुमार बिश्वास, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**

**(Department of Chemicals and Petrochemicals)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2016

**G.S.R. 980(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby extends the tenure of Shri Justice Prakash Shrivastava, a sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the Victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a period of one year with effect from 01.08.2016 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 21/21/2002-B.Cell]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.